उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-5/2017-एस0ई0-4-1444/दस-2017-ई0एम0-24/04
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण" के अन्तर्गत प्रावधानित (आय-व्ययक) की धनराशि रू0 41.00 लाख (रूपये इकतालीस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02-01-2017 एवं शासनादेश सं0 3/2017/बी-1-348/दस/2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 के अनुक्रम में 05 माह हेतु धनराशि रू0 16.22 लाख (रूपये सोलह लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण	**वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मानक मदवार प्राविधान (रूपये हजार में)**	**वित्तीय वर्ष 2017-2018 में मानक मदवार प्राविधानित धनराशि (रूपये हजार में)**	**वित्तीय वर्ष 2017-2018 हेतु 05 माह के व्यय हेतु मानक मदवार प्राविधानित धनराशि (रूपये हजार में)**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150	150	62
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3000	3000	1200
25-लघु निर्माण कार्य	---	---	---
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400	400	160
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	550	550	200
योग-	**4100**	**4100**	**1622**

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत उपर्युक्त कालम 1 मे वर्णित लेखा शीर्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह धनराशि वित्त् विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखी जायेगी।

ओम प्रकाश द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या-5/2017-एस0ई0-4-1444(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियों में।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in